FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2026

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0015 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/01/2026 22:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 08/01/2026 Date To (दिनांक तक): 09/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 09:30 बजे Time To (समय तक): 16:35 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/01/2026 Time (समय): 10:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/01/2026 22:36:26 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 6 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): AAROPI ABHISHEK KE MAKAN KE BAHAR, BRIGADIER GHASIRAM NAGAR COLONY, BHARATPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHERSINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHAMANIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	C 64, KALRA LOHE WALI GALI, HIRADAS BUS STAND KE PASS, INDRA NAGAR, ATALBANDH, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C 64, KALRA LOHE WALI GALI, HIRADAS BUS STAND KE PASS, INDRA NAGAR, ATALBANDH, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	MOHIT KATIYAR		पिता:ARVIND KATIYAR	1. SUGRIV COLONY,JAIN MANDIR KE PASS BHARATPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	ABHISHEK GUPTA		पिता:BANGALI BABU	1. 599,BRIGADIER GHASIRAM,NAGAR COLONY BHARATPUR,MATHURAGATE, BHARATPUR,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं शेर सिंह पुत्र श्री खमानीराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर सी-64,कालरा लोहे वाली गली,हीरादास बस स्टेन्ड के पास, इन्द्रा नगर पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर का रहने वाला हुं। निवेदन है कि मेरी स्मार्ट सन पॉवर के साथ डीलरशिप के रूप में काम करता हुं। मै पीएम सूर्य घर योजना के तहत भरतपुर जिले में काम करता हुं। मै एईएन मोहित कटियार व जेईएन अभिषेक कार्यालय उच्चैन के क्षैत्र में एक साल से सोलर का काम कर रहा हुं। एईएन मोहित कटियार व जेईएन अभिषेक ग्राहकों के मीटर लगाने व सब्सिडी के आवेदन को आगे बढाने की एवज में मुझे प्रति फाईल पर 5000/- रूपये रिश्वत मांग कर परेशान कर रहे है। मैने पूर्व में मेरी 20 फाईलों के 80,000/- रूपये दे दिये है और अभी मेरी पांच फाईलों के मीटर देने व नई चार फाईलों के मीटर देने व कनैक्शन एवं पिछला बकाया मिलाकर 90,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त दोनो कर्मचारियों से कोई उधार लेन देन बकाया नही है और नाही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 08.01.2026 एसडी शेर सिंह प्रार्थी शेर सिंह पुत्र श्री खमानीराम , 64 इन्द्रा नगर भरतपुर हाल डीलरशिप स्मार्ट सन पॉवर मो.नं एसडी अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर 08.01.2026, एसडी अभिमन्यु 09.01.2026 एसडी जयप्रकाश 09.01.2026कार्यवाही पुलिसप्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08.01.2026 समय - 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री शेर सिंह पुत्र श्री खमानीराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर सी-64,कालरा लोहे वाली गली,हीरादास बस स्टेन्ड के पास, इन्द्रा नगर पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व दस्तावेजो के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं शेर सिंह पुत्र श्री खमानीराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर सी-64,कालरा लोहे वाली गली,हीरादास बस स्टेन्ड के पास, इन्द्रा नगर पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर का रहने वाला हुं। निवेदन है कि मेरी स्मार्ट सन पॉवर के साथ डीलरशिप के रूप में काम करता हुं। मै पीएम सूर्य घर योजना के तहत भरतपुर जिले में काम करता हुं। मै एईएन मोहित कटियार व जेईएन अभिषेक कार्यालय उच्चैन के क्षैत्र में एक साल से सोलर का काम कर रहा हुं। एईएन मोहित कटियार व जेईएन अभिषेक ग्राहकों के मीटर लगाने व सब्सिडी के आवेदन को आगे बढाने की एवज में मुझे प्रति फाईल पर 5000/- रूपये रिश्वत मांग कर परेशान कर रहे है। मैने पूर्व में मेरी 20 फाईलों के 80,000/- रूपये दे दिये है और अभी मेरी पांच फाईलों के मीटर देने व नई चार फाईलों के मीटर देने व कनैक्शन एवं पिछला बकाया मिलाकर 90,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हुं । रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त दोनो कर्मचारियों से कोई उधार लेन देन बकाया नही है और नाही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं । संलग्न दस्तावेजों में परिवादी श्री शेर सिंह व स्मार्ट सन पॉवर के मध्य दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी हुये एग्रीमेन्ट की छायाप्रति है एवं परिवादी शेर सिंह की फर्म श्रीजी सोलर एनर्जी की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति है। हमारे बीच हुये करार के मुताबिक सोलर उपकरण स्मार्ट सन पॉवर द्वारा दिये जाते है एवं मेरे द्वारा साईट पर लगाये जाते है एवं भुगतान मेरे बचत खाते एवं फर्म में प्राप्त किया जाता रहा है। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम

कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय-10.00 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री अवधेश हैडकानि. नं. 68 से निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री शेरसिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री शेर सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी शेरसिंह व श्री परसराम कानि0 को परिवादी की निजी कार से गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत देकर कस्बा उच्चैन रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय-12.30 पीएम पर श्री परसराम कानि. मय परिवादी श्री शेर सिंह के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री परसराम कानि . से पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया। परिवादी श्री शेर सिंह ने बताया कि आज सुबह मै आपके कार्यालय के परसराम कानि. के साथ हीरादास बस स्टैन्ड भरतपुर से रवाना होकर कार्यालय अधिशाषी अभियंता उच्चैन गये जंहा परसराम कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मै एईयन साहब मोहित कटियार से मिला तो उन्होने मुझे जेईयन साहब अभिषेक से बात करने के लिए कहा और मै जेईयन साहब के पास गया तो जेईयन साहब मुझे दिखाई नही दिये। इसके बाद मैने श्री परसराम कानि. के पास आकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर परसराम कानि. को सुपुर्द कर दिया। श्री परसराम कानि. ने मुझसे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। मैने जेईयन साहब की जानकारी की तो कंही बाहर होना बताया। उक्त सारी वार्तालाप मैने साथ में गये हुये श्री परसराम कानि. को बताई थी। मै कल जेईयन साहब से मिलने सुबह जल्दी उनके घर पर ही जाउंगा। तत्पश्चात श्री परसराम कानि. से पूछने पर श्री परसराम कानि. ने भी परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि की गई। श्री परसराम कानि. से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर वॉईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर मैमोरी कार्ड व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 09.01.2026 समय-07.30 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री अवधेश हैडकानि. नं. 68 से निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर श्री परसराम कानि. नं. 203 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री शेर सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु निजी मोटरसाईकिल से परिवादी शेर सिंह से संपर्क कर गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत देकर हीरादास बस स्टैन्ड भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 11.50 एएम पर श्री परसराम कानि. मय परिवादी श्री शेर सिंह के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री परसराम कानि . से पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया। परिवादी श्री शेर सिंह ने बताया कि आज सुबह मै आपके कार्यालय के परसराम कानि. के साथ हीरादास बस स्टैन्ड भरतपुर से रवाना होकर जेईयन अभिषेक जी के घर गये जंहा परसराम कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। जेईयन साहब मुझे घर के बाहर ही मिल गये जिनसे मैने मेरे काम के संबध में व रिश्वत की बात की। उन्होने मुझे बिजलीघर आने के लिए कहा कि मै एईयन साहब से मिला दुंगा। इसके बाद मैने रिकॉर्डर परसराम कानि. को सुपुर्द कर दिया। श्री परसराम कानि. ने मुझसे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद जेईयन साहब के घर से रवाना होकर हम समय करीब 09.50 एएम पर बिजलीघर उच्चैन पहुंचे। जंहा परसराम कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मै बिजलीघर के अन्दर जेईयन साहब से मिला तो जेईयन साहब मुझे मेरे कार्य के संबध में बात की। जेईयन व एईयन साहब से मेरी कुल 34 फाईलों के 1,70,000/- रूपये की बात कर जिसके 80,000/- रूपये मैने पूर्व में दे दिये है। 90,000/- रूपये रिश्वत की और मांग की है। 50,000/- रूपये आज ही दो-तीन घन्टे बाद ही मंगाये है तथा 40,000/- रूपये सोमवार को देने के बाद मीटर देने के लिए कहा है उक्त सारी वार्तालाप मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। उक्त सारी वार्तालाप मैने साथ में गये हुये श्री परसराम कानि. को बताई थी। तत्पश्चात श्री परसराम कानि. ने बताया कि मैने द्वारा भी परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि की गई। श्री परसराम कानि. से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर वॉईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर मैमोरी कार्ड व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी को रिश्वत राशि के संबध में पूछा तो अपने पास 50,000/- रूपये होना बताया। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद

समय- 12.10 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 को श्रीमान संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय- 12.30 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 मय दो स्वतंत्र गवाह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम क्रमशः श्री अभिमन्यु पुत्र श्री फगुनीराम जाति जाटव उम्र 55 साल निवासी वनखण्डी महादेव मन्दिर व नाले के पास तिलक नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबंद भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर मो.नं. एवं श्री जयप्रकाश पुत्र श्री मुरारीलाल जाति वैश्य उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 333 कृष्णा नगर भरतपुर हाल कार्यक्रम अधिकारी (व्याख्याता समकक्ष) कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना संमन्वयक समग्र शिक्षा भरतपुर मो.नं. होना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री शेर सिंह से आपस में परिचय करवाकर ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए एवं परिवादी द्वारा दिनांक 07.01.2026 को पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट को दोनों गवाहों को पढने को दी गई एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति ली गई तो दोनो गवाहों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 02.00 पी.एमः पर उपरोक्त मौतविरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री शेर सिंह पुत्र श्री खमानीराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी मकान नम्बर सी-64,कालरा लोहे वाली गली,हीरादास बस स्टेन्ड के पास, इन्द्रा नगर पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर से आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 100 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 50,000/-(पचास हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री अवधेश हैड कानि0 68 से मालखाना खुलवाकर श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं.45 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री शेर सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/- रूपये के नोटों को श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी तरफ की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री जयप्रकाश से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय- 03.00 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 , श्री परसराम कानि. नं. 203 मय परिवादी शेर सिंह मय परिवादी की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे श्री गोकुलेश कानि. नं. 454, श्री लोकेश कुमार कानि नं. 85, श्री राजेन्द्र कुमार कानि नं. 106 मय स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश मय श्री विजय सिंह कानि. चालक मय प्राईवेट वाहन के आगे आगे रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यु मय श्री दिलीप कानि. न.610, श्री विनोद सिंह कानि. नं. 114 मय अपनी निजी कार से मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर , सरकारी डिजिटल वीडियो कैमरा के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा उच्चैन रवाना हुआ। इसके

बाद समय-05.00 पी.एम पर दर्ज रहे कि एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर मय हमराहीयान के साथ समय 3.30 पी. एम. पर उच्चैन पहुंचा जहां पर दोनों आरोपीगण की बारे में जानकारी करवाई गई तो अपने कार्यालय में उपस्थित नही होना ज्ञात होने पर परिवादी के मोबाइल से आरोपी अभिषेक गुप्ता के मोबाइल पर वाट्सअप कॉल करवाई गई तो आरोपी ने कॉल को रिसीव नही किया किंतु कुछ समय पश्चात आरोपी का वाट्सअप कॉल आया तो आरोपी ने अपने आप को अपने निवास स्थान भरतपुर में होना बताया उक्त कॉल को लाउड स्पीकर पर करवाकर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह मय परिवादी मय हमराहीयान मय ट्रेप उपकरण के मौके से रवाना हुआ। रास्ते में आरोपी मोहित कटियार सहायक अभियंता की लोकेशन निकलवाई गई तो उसकी लोकेशन सारस चौराहा भरतपुर पर होने पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक, श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को निर्देशित किया गया कि आप सरकारी गाडी व जाब्ता लेकर सफेद कलर की हुंडई कम्पनी की कार जिसके नम्बर HR51CQ9712 हैं का पीछा करें एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा करें साथ ही महिला कानि. कुमारी शगुन को भी निर्देशित किया गया कि आप ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी भरतपुर पर उपस्थित मिलें। इसके पश्चात समय 04.10 पी.एम. पर समस्त हमराही जाब्ता एवं ट्रेप उपकरणों व प्राइवेट वाहनों के ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी भरतपुर पहुंचा जहां पर परिवादी से आरोपी के मोबाइल पर वाट्सअप कॉल कराई गई तो आरोपी ने अपने आप को भरतपुर शहर में होना बताया इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को मुनासिब हिदायत कर आरोपी के निवास जो ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी में स्थित है के पास ही छोडा गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता के वाहनों को साइड में खडा कर आरोपी के मकान के आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के नियत इशारे का इंतजार करने लगा । कुछ समय पश्चात परिवादी के पास एक स्कूटी सवार व्यक्ति आकर रूका और परिवादी से बातचीत करने लगा इसके पश्चात समय 04.35 पी.एम. पर परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नियत इशारा किया किंतु जिस व्यक्ति से परिवादी बातचीत कर रहा था वह स्कूटी से जाने लगा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमराही जाब्ते ने स्कूटी सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया किंतु वह व्यक्ति स्कूटी लेकर आवासीय कोलोनी में भाग गया। उक्त स्कूटी सवार आरोपी का पीछा किया गया तो उक्त व्यक्ति अपनी स्कूटी को रोड की साइड में पटककर पास में बने नाले में कूद गया जिसको हमराही जाब्ता की मदद से पकडा गया। परिवादी से पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद किया जाकर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अभिषेक गुप्ता पुत्र स्व. श्री बंगाली बाबू उम्र 34 साल जाति वैश्य निवासी म.न. 599 , ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर होना बताया इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 50,000 रूपये के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने किसी भी प्रकार के रूपये नही लिये हैं जिस पर पास में खडे परिवादी ने बताया कि जेईएन साहब झूंठ बोल रहें हैं इन्होंने मेरे से रिश्वत राशि 50,000 रूपये को अपनी स्कूटी की डिग्गी में रखवाये थे। जिनको लेकर ये वहां से भाग गया था इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में आरोपी अभिषेक गुप्ता की स्कूटी की डिग्गी को खोलकर चैक करवाया तो डिग्गी में दस्तानों के नीचे 500-500 रूपये की एक गड्डी दिखाई दी उक्त गड्डी को गवाह श्री अभिमन्यु से उठवाया जाकर कार्यालय में पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू पाए गये जिनको सुरक्षित गवाह श्री अभिमन्यु के पास ही रखवाया गया। तत्पश्चात श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक को जरिए मोबाइल निर्देशित किया गया कि आप जिस गाडी का पीछा कर रहे हो उक्त व्यक्ति को डिटेन कर एसीबी चौकी भरतपुर लेके आवें। आम रास्ता होने के कारण मौके पर भीडभाड इकट्ठी होने के कारण अग्रिम कार्यवाही होना संभव नही है इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी अभिषेक गुप्ता जेईएन मय परिवादी मय हमराही जाब्ता , मय गवाहान मय रिश्वत राशि मय स्कूटी मय प्राइवेट वाहनों के मौके से रवाना होकर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां अग्रिम कार्यवाही शुरू करते हुए ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास को निकलवाकर कार्यालय में रखे कैम्पर से गवाह श्री जयप्रकाश से पानी मंगवाकर गिलास में डलवाकर, पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया तथा ट्रेप बॉक्स मे से रूई का फोया निकलवाकर स्कूटी की डिग्गी को खुलवाकर डिग्गी को फोये से पुछवाकर फोये को गिलास में बने घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क डी-1 व डी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। तत्पश्चात रूई को फोये को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क आरएफ अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री अभिमन्यु के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 50,000 रूपये को निकलवाकर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना पाये गये उक्त नोटों के नम्बरों को पुनः कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये जिनका विवरण फर्द मे अंकित करवाया

गया। उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात पुनः तसल्ली देकर आरोपी अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता से परिवादी श्री शेरसिंह से ली गई रिश्वत राशि 50,000 रूपये के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं शेरसिंह को जानता हूं जो के हमारे कार्यालय में कार्यरत श्री मोहित कटियार सहायक अभियंता के पास मिलने आते रहते हैं जो सोलर कनैक्शन करते हैं। आज शेरसिंह मेरे पास आये थे और मेरे से कहा कि मेरी बात एईएन साहब से करा दो इस पर मैं शेरसिंह को लेकर एईएन साहब के पास गया तो शेरसिंह और एईएन साहब की आपस में बातचीत हुई थी। उसके बाद एईएन साहब ने मुझसे कहा था कि जो कुछ भी शेरसिंह दे उसे लेकर अपने पास रख लेना मैं आकर ले लूंगा मैंने शेरसिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है नाही मैं सोलर सम्बंधी किसी भी प्रकार की पत्रावली पर कार्य करता हूं क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस पर पास में उपस्थित परिवादी ने आरोपी अभिषेक गुप्ता की बातों का खंडन करते हुए कहा कि जेईएन साहब झूंठ बोल रहें हैं। मैं मेरी फर्म स्मार्ट सन पॉवर के मार्फत सौलर प्लांट इस्टॉलेशन का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा जेवीवीएनएल उच्चैन के अधिकार क्षेत्र में मेरे द्वारा कुल 34 रूफटॉप सोलर कनैक्शन किये गये है जिनमें से 25 कनैक्शन हो चुके हैं एवं 09 कनैक्शन पर मीटर लगना बाकी हैं। उक्त 09 कनैक्शनों पर मीटर लगवाने के सम्बंध में मैं जेवीवीएनएल उच्चैन में एईन साहब मोहित कटियार सहायक अभियंता एवं जेईएन साहब अभिषेक गुप्ता से मिला था तो उक्त दोनों अधिकारियों ने मेरे से मेरी 34 फाइलों को 5,000 रूपये प्रति फाइल के हिसाब से 1,70,000 रूपये में से 80,000 रूपये चार पांच दिन पहले ले लिये थे और शेष 90,000 रूपये मांग कर परेशान किया जा रहा था जिसकी शिकायत मैंने आपके कार्यालय में दिनांक 08.01.2026 को उपस्थित आकर की थी जिस पर आप द्वारा दिनांक 08.01.2026 को आपके द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन कराया था। दौराने सत्यापन वार्ता एईएन साहब मोहित कटियार ने कहा था कि आप जेईएन से बात कर लो, उस दिन जेईएन साहब मुझे कार्यालय में दिखाई नही दिये इसके बाद आज दिनांक 09.01.2026 को आप द्वारा पुनः सत्यापन कराया गया तो जेईएन साहब अभिषेक गुप्ता से मेरी रिश्वत सम्बंधी बातचीत हुई तथा जेईएन साहब ने कहा कि आप ऑफिस आ जाना मैं आपकी बात एईएन साहब से करवा दूंगा इसके बाद आपके निर्देशानुसार मैं और श्री परसराम कानि. एईएन कार्यालय उच्चैन गये जहां उक्त दोनों अधिकारियों ने मेरे से 50,000 रूपये आज एवं 40,000 रूपये सोमवार को लेने पर सहमत हुए थे। उक्त मांग के अनुशरण में जेईएन अभिषेक गुप्ता ने मेरे से अपने निवास के पास अपनी स्कूटी की डिग्गी में रिश्वत राशि 50,000 रूपये रखवाये थे। समय 06.00 पी.एम. पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय हमराही जाब्ता श्री ओमीराय उप निरीक्षक , संतोष कुमार हैडकानि. नं. 58, श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68, श्री कपिल सिंह कानि. नं. 168, श्री देवेन्द्र कुमार कानि. 221, श्री सतेन्द्र कानि. नं. 45 मय हमरा एक व्यक्ति मय सरकारी वाहन मय आरोपी मोहित कटियार सहायक अभियंता की कार जिसकें नम्बर HR51CQ9712 के उपस्थित कार्यालय आया। साथ में आये हुए व्यक्ति को अपना व ट्रेप टीम का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहित कटियार पुत्र श्री अरविंद कटियार उम्र 33 साल जाति कुर्मी निवासी 190, राजपुर पुलिस थाना राजपुर जिला कानपुर देहात उत्तरप्रदेश हाल निवासी सुग्रीव कोलोनी जैन मंदिर के पास भरतपुर हाल सहायक अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतुपर होना बताया इस पर आरोपी मोहित कटियार से परिवादी श्री शेरसिंह से रिश्वत राशि मांगने व रिश्वत राशि कनिष्ठ अभियंता अभिषेक गुप्ता को दिलवाने के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं शेरसिंह को जानता हूं जो स्मार्ट सन पॉवर फर्म के नाम से सौलर प्लांट इस्टॉलेशन का कार्य करते हैं। शेरसिंह आज मेरे पास अपने द्वारा किये गये इंस्टालेशन साइटों पर मीटर लगवाने के लिए आये थे। मैंने शेरसिंह को कहा कि आप अपनी फाइलें ऑनलाइन कर दों उसके बाद सत्यापन आपके साइटों पर मीटर लगा देंगे। मैंने शेरसिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है और नाही इनसे कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर पास में उपस्थित परिवादी ने आरोपी मोहित कटियार की बातों का खंडन करते हुए कहा कि एईएन साहब झूंठ बोल रहें हैं। मैं मेरी फर्म स्मार्ट सन पॉवर के मार्फत सौलर प्लांट इस्टॉलेशन का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा जेवीवीएनएल उच्चैन के अधिकार क्षेत्र में मेरे द्वारा कुल 34 रूफटॉप सोलर कनैक्शन किये गये है जिनमें से 25 कनैक्शन हो चुके हैं एवं 09 कनैक्शन पर मीटर लगना बाकी हैं। उक्त 09 कनैक्शनों पर मीटर लगवाने के सम्बंध में मैं जेवीवीएनएल उच्चैन में एईन साहब मोहित कटियार सहायक अभियंता एवं जेईएन साहब अभिषेक गुप्ता से मिला था तो उक्त दोनों अधिकारियों ने मेरे से मेरी 34 फाइलों को 5,000 रूपये प्रति फाइल के हिसाब से 1,70,000 रूपये में से 80,000 रूपये चार पांच दिन पहले ले लिये थे और शेष 90,000 रूपये मांग कर परेशान किया जा रहा था जिसकी शिकायत मैंने आपके कार्यालय में दिनांक 08.01.2026 को उपस्थित आकर की थी जिस पर आप द्वारा दिनांक 08.01.2026 को आपके द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन कराया था। दौराने सत्यापन वार्ता एईएन साहब मोहित कटियार ने कहा था कि आप जेईएन से बात कर लो, उस दिन जेईएन साहब मुझे कार्यालय में दिखाई नही दिये इसके बाद आज दिनांक 09.01.2026 को आप द्वारा पुनः सत्यापन कराया गया तो जेईएन साहब अभिषेक गुप्ता से मेरी रिश्वत सम्बंधी बातचीत हुई तथा जेईएन साहब ने कहा कि आप ऑफिस आ जाना मैं आपकी बात एईएन साहब से करवा दूंगा इसके बाद आपके निर्देशानुसार मैं और श्री परसराम कानि. एईएन कार्यालय उच्चैन गये जहां उक्त दोनों अधिकारियों ने मेरे से 50,000

रूपये आज एवं 40,000 रूपये सोमवार को लेने पर सहमत हुए थे। उक्त मांग के अनुशरण में जेईएन अभिषेक गुप्ता ने मेरे से अपने निवास के पास अपनी स्कूटी की डिग्गी में रिश्वत राशि 50,000 रूपये रखवाये थे। उक्त दोनों आरोपीगणों द्वारा मिलीभगत कर परिवादी श्री शेरसिंह से 90,000 रूपये रिश्वत की मांग कर पहली किश्त के रूप में 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना व रिश्वत राशि का आरोपी अभिषेक गुप्ता की स्कूटी की डिग्गी से प्राप्त होने का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। दौराने कार्यवाही बरामदगी रिश्वत राशि व आरोपी की स्कूटी की डिग्गी की धुलाई की वीडियोग्राफी श्री गोकुलेश कानि. 454 द्वारा कराई गई जिसकी फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। परिवादी के कार्य से सम्बंधित रिकॉर्ड को जरिए फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व स्कूटी की डिग्गी धुलाई की फर्द पृथक से तैयार की जाकर बाद सम्बंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 06.35 पी.एम पर श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी करौली मय हमराही टीम के उपस्थित आये। श्री जगदीश भारद्वाज उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार कार्यालय में खडी हुई आरोपी मोहित कटियार सहायक अभियंता की कार व आरोपीगण के आवास की खानातलाशी ली जानी है। अतः आरोपी मोहित कटियार सहायक अभियंता को श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक व उनकी टीम को कार व निवास की तलाश हेतु सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय- 07.00 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष आरोपी अभिषेक गुप्ता पुत्र स्व. श्री बंगाली बाबू उम्र 34 साल जाति वैश्य निवासी म.न. 599 , ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर द्वारा परिवादी शेरसिंह से उसकी फर्म स्मार्ट सन पॉवर द्वारा किये गये सोलर इंस्टॉलेशन कार्य की साइट पर मीटर लगवाने की एवज में मोहित कटियार सहायक अभियंता व अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता द्वारा आपस में मिलीभगत कर 90,000 रूपये रिश्वत की मांग करना व अपने वरिष्ठ अधिकारी मोहित कटियार सहायक अभियंता के कहने पर परिवादी से आज दिनांक 09.01.2026 को 50,000 रूपये रिश्वत राशि को अपनी स्कूटी की डिग्गी में रखवाना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री जयप्रकाश से लिवाई गई तो आरोपी के पास टैक्नो कम्पनी का एक मोबाईल जिसमें जीओ की सिम डली हुई है जिसके नं0 है एवं एक अन्य मोबाइल वन प्लस कम्पनी का जिसमें बीएसएनएल की सरकारी सिम डली हुई है एवं एक पर्स जिसमें 250 रूपये व स्वंय के दस्तावेज हैं। टैक्नो कम्पनी के मोबाइल की कार्यवाही हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर मोबाइल को जरिए फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि 250 रूपये व वन प्लस कम्पनी के मोबाईल व पर्स एवं आरोपी की स्कूटी को मय स्कूटी की चाबी के आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी के ससुर श्री जीतेन्द्र कुमार गुप्ता को सुपुर्द किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना भी श्री जीतेन्द्र कुमार गुप्ता को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 07.40 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 द्वारा रिश्वत राशि 50,000 रूपये की बरामदगी व आरोपी अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता की स्कूटी की डिग्गी धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की चार सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर तीन सीडी को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद समय- 09.00 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष आरोपी अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता का टैक्नो कम्पनी का मोबाईल जिसे दौराने गिरफ्तारी व जामातलाशी आरोपी अभिषेक गुप्ता से कब्जा एसीबी लिया गया था। मोबाइल का अवलोकन किया गया तो मोबाइल में दो वाट्सअप एप संधारित हैं। जिनमें से एक वाट्सअप JEN UCHHAIN के नाम से बना हुआ है जिसके मोबाइल नम्बर हैं। उक्त वाट्सअप पर ही परिवादी श्री शेरसिंह की अपने वाट्सअप नम्बर से आरोपी के वाट्सअप नम्बर पर वार्तालाप हुई थी। वार्तालाप की कॉल हिस्ट्री व वाट्सअप प्रोफाइल का स्क्रीशॉट लिया जाकर प्रिंटआउट कर बाद सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा मोबाइल को बंद कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्डमौहर किया जाकर बाद सम्बंधित के हस्ताक्षर मार्क एमओ अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जब्ती मोबाइल पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 09.40 पीएम पर श्री जगदीश भारद्वाज मय टीम मय आरोपी मोहित कटियार सहायक अभियंता के बाद कार व निवा1स की खानातलाशी के उपस्थित कार्यालय आया जिनसे डिटेनशुदा आरोपी को प्राप्त किया जाकर जाब्ता की निगरानी में बिठाया गया। इसके बाद समय- 09.50 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष आरोपी मोहित कटियार पुत्र श्री अरविंद कटियार उम्र 33 साल जाति कुर्मी निवासी 190, राजपुर पुलिस थाना राजपुर जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश एवं बर्रा 08 केडीएम स्कूल के पास कानपुर पुलिस थाना बर्रा जिला कानपुर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सुग्रीव कोलोनी जैन मंदिर के पास

भरतपुर हाल सहायक अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतुपर द्वारा परिवादी शेरसिंह से उसकी फर्म स्मार्ट सन पॉवर द्वारा किये गये सोलर इंस्टॉलेशन कार्य की साइट पर मीटर लगवाने की एवज में मोहित कटियार सहायक अभियंता व अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता द्वारा आपस में मिलीभगत कर 90,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा आरोपी अभिषेक गुप्ता द्वारा परिवादी से आज दिनांक 09.01.2026 को 50,000 रूपये रिश्वत राशि को अपनी स्कूटी की डिग्गी में रखवाना जिसके सम्बंध में आरोपी द्वारा कथनों में उक्त राशि को मोहित कटियार सहायक अभियंता के कहने पर प्राप्त करना , रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री जयप्रकाश से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल वीवो कम्पनी का जिसमें एयरटेल व बीएसएनएल की सिम डली हुई है जिसके नं0 क्रमशः
व एक अन्य मोबाईल रेडमी का जिममें जीओ व एयरटेल की सिम डली हैं जिनके नं0 क्रमशः व
है उक्त दोनों मोबाईलों व कार मय चाबी के आरोपी के कहे अनुसार अपने परिचित मनीष चौधरी को सुपुर्द की गई व गिरफ्तारी की सूचना भी मनीष चौधरी को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 10.15 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेनेदेन वार्ता दिनांक 09.01.2026 के वॉइसरिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को जिसमें परिवादी व आरोपी अभिषेक गुप्ता के मध्य वार्ता रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्डो में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त कार्डों में रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट आँउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-10.20 पी.एम. पर परिवादी शेरसिंह व आरोपी अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभिंयता मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 09.01.26 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार करवाया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दिनांक 09.01.26 को दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता के कार्य में लिये गये मेमोरी कार्ड को वॉइस रिकॉर्डर में से निकाल कर सफेद कपडे की थैली में शील्ड मौहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क क्रमशः एम-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी, मेमोरी कार्ड एम-2 को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 11.15 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 09.01.26 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता हैं, उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट आँउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय- 11.20 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय सरकारी गाडी मय चालक विजय सिंह कानि0 339 मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण मोहित कटियार सहायक अभियंता एवं अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरागेट के नाम तहरीर जारी कर आरोपीगण को बन्द हवालात कराने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय- 11.25 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री शेरसिंह को वक्त रात्रि होने से रूखसत किया गया। कार्यवाही हाजा की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को कल दिनांक 10.01.2026 को सुबह 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। इसके बाद समय- 11.40 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय सरकारी गाडी मय चालक विजय सिंह कानि0 339 के फिकरा उपरोकत का रवानाशुदा बाद करवाकर आरोपीगणों को बंद हवालात कर वापस कार्यालय आया। इसके बाद दिनांक 10.01.2026 समय- 09.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री अभिमन्यु व श्री जयप्रकाश एवं परिवादी श्री शेरसिंह उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय- 10.15 ए. एम. पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री अवधेश कुमार हैडकानि. , श्री गोकुलेश कानि. नं. 454, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 को मैडीकल ज्यूरिष्ट आरबीएम भरतपुर के पदनाम तहरीर जारी कर वास्ते स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं आरोपीगणों को लेने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय- 11.00 ए.एम. पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री अवधेश कुमार हैडकानि. , श्री गोकुलेश कानि. नं. 454, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा बाद करावाकर आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण व लेकर कार्यालय आये जिनको जाब्ता की निगरानी में बिठाया गया। इसके बाद समय- 11.30 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन , परिवादी शेरसिंह,

दिलीप कुमार कानि. मय गिरफ्तार शुदा आरोपी माहित कटियार मय वाहन सरकारी चालक विजयसिंह के वास्ते परिवादी के पैडिंग कार्य के रिकॉर्ड जब्ती हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर एवं नक्शा मौका हेतु घटनास्थल रवाना हुआ। इसके बाद समय- 01.50 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन , परिवादी शेरसिंह, दिलीप कुमार कानि. मय गिरफ्तार शुदा आरोपी माहित कटियार मय वाहन सरकारी चालक विजयसिंह के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय आया दर्ज रहे कि आरोपी मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर से परिवादी शेरसिंह की कार्य से संबंधित पत्रावलियों के संबंध में पूछा तो कार्यालय में होना बताया जिस पर अवकाश होने से जरिये मोबाईल कार्यालय कर्मचारियों को कार्यालय में मिलने हिदायत देकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय गवाहान मय दिलीप कुमार कानि. मय देवेन्द्र कुमार कानि. 221 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक विजय सिंह मय आरोपी मोहित कटियार के कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेबीबीएनएल उच्चैन पहूचा। जहाँ पर श्री लोकेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक प्रथम सहायक अभियंता कार्यालय जेवीवीएनएल उच्चैन व अन्य कार्यालय स्टाफ उपस्थित मिला। जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए स्मार्ट सन पॉवर फर्म के मार्फत श्री शेरसिंह द्वारा किये गये सौलर प्लांट इंस्टॉलेशन कार्य के सम्बंधित रिकॉर्ड के बारे मे पूछा तो बताया कि सौलर प्लांट इंस्टालेशन से सम्बंधित पत्रावलीयां सहायक अभियंता के पास प्राप्त होती हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात श्री लोकेन्द्र सिंह ने कुल 07 पत्रावलीयां पेश की जिनका अवलोकन किया गया । पत्रावलीयों का विवरण निम्न प्रकार है। 1- पत्रावली सं. 01 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम नोहबत पुत्र बीधा निवासी होंता खेडली गडासिया भरतपुर अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 09 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 03 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण होना शेष है। पेज सं. 09 पर आवेदन पत्र जिस पर स्मार्ट सन पॉवर लिखा हुआ है। 2- पत्रावली सं. 02 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम महावीर निवासी नगला मई व के नं. अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 04 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 02 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण होना शेष है। 3-पत्रावली सं. 03 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम लालबती निवासी गोबरा अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 13 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 02 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण होना शेष है। 4- पत्रावली सं. 04 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम धर्मेन्द्र निवासी मुढेरा अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 08 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 02 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति वेन्डर द्वारा इंस्टॉलेशन प्रिक्रियाधीन है। 5- पत्रावली सं. 05 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम दिगम्बर सिंह निवासी लखनपुर अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 08 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 08 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति वेन्डर द्वारा अपलोड एग्रीमेंट प्रिक्रियाधीन है। 06- पत्रावली सं. 06 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम जसवंत जी निवासी नगला मई अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 14 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 02 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति वेन्डर द्वारा इंस्टॉलेशन प्रिक्रियाधीन है। 7- पत्रावली सं. 07 जिसके कवर प्रष्ठ पर उपभोक्ता का नाम ओमवीरजी निवासी नगला मई अंकित है , पत्रावली में 01 लगायत 15 पेज हैं। जिसमें प्रष्ठ सं. 02 पर प्लांट की अद्यतन स्थिति वेन्डर द्वारा इंस्टॉलेशन प्रिक्रियाधीन है। तत्पश्चात स्मार्ट सन फर्म द्वारा किये अब तक के सौलर प्लांट इंस्टॉलेशन के सम्बंध में रिपोर्ट चाही गई तो श्री लोकेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय कमप्यूटर से कार्य पूर्ण हो चुके 26 उपभोक्ताआें की लिस्ट पेश की जिनके लिए सरकार द्वारा जारी हो चुकी है। उक्त समस्त दस्तावेजात कार्यवाही हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावलीयों की नम्बरिंग कराई जाकर प्रत्येक पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर पत्रावलीयों के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराए जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं मूल पत्रावलीया कुल 07 को श्री लोकेन्द्र सिंह वाणिज्य सहायक प्रथम को सुपुर्द कर परिवादी श्री शेरसिंह के वैध कार्य करने हेतु हिदायत दी गई। फर्द जब्ती मुर्तिब की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। बाद जब्ती कार्यवाही समय 12.30 पी.एम. पर मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी मोहित कटियार एवं परिवादी श्री शेरसिहं के रवाना होकर समय 01.10 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा के घटनास्थल लक्ष्मी मैरिज गार्डन के सामने मडरपुर रोड भरतपुर जहां रिश्वत राशि 50,000 रूपये बरामद की गई थी, पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका कशीद किया जाकर बाद सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.35 पी.एम. पर मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा , आरोपी मोहित कटियार को जाब्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय- 01.55 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.01.2026 व 09.01.2026 के मेमोरी कार्डों जिनमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य वार्ता रिकॉर्ड है, को कार्यालय की आलमारी से निकालकर पृथक-पृथक से वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्डों में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त कार्डों में रिकार्ड वार्ताओं की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू पृथक-पृथक से निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-02.05 पी.एम. पर परिवादी शेरसिंह व आरोपीगण मोहित कटियार सहायक अभियंता एवं अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक

08.01.26 व 09.01.26 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्डों में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्डों में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार करवाया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दिनांक 08.01.26 व दिनांक 09.01.26 को दौराने सत्यापन वार्ता के कार्य में लिये गये मेमोरी कार्डों को पृथक-पृथक से सफेद कपडे की थैलियों में शील्ड मौहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैलियों पर मार्क क्रमशः एम व एम-1 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी, मेमोरी कार्ड एम व एम-1 को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 05.20 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 08.01.26 व 09.01.26 को आरोपीगणों व परिवादी के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ताएं हैं, उक्त वार्ताओं की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय- 05.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 76 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगणों द्वारा परिवादी शेरसिंह को उसके द्वारा किये गये कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर के अधिकार क्षेत्र में 34 साइटों पर कार्य किया गया था जिनमें से 25 साइटों के मीटर लगाये गये एवं शेष 09 पत्रावलीयां पैडिंग हैं। पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत सौर पैनल इंस्टॉलेशन कार्य के मीटर लगाने व सब्सिडी जारी करने की एवज में प्रति पत्रावली 5,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादी द्वारा जिला भरतपुर में उक्त पत्रावलीयों की कुल 1,70,000 रूपये के कमीशन में से परिवादी से पूर्व में 80,000 रूपये प्राप्त करना व शेष 90,000 रूपये की और मांग करने पर परिवादी द्वारा शिकायत देना। उक्त शिकायत के अनुशरण में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.01.26 व 09.01.26 को आरोपीगणों द्वारा 90,000 रूपये में से 50,000 रूपये उसी दिन दिनांक 09.01.26 को देने की कहना व 40,000 रूपये सोमवार को देने के लिए कहना व वक्त लेन देन दिनांक 09.01.26 को आरोपी अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी मोहित कटियार सहायक अभियंता के कहने पर परिवादी से 50,000 रूपये अपनी स्कूटी की डिग्गी में रखवाना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर आरोपीगण को पृथक-पृथक से जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जरिये फर्द पृथक से जब्त की गई। आरोपीगणों क्रमशः मोहित कटियार पुत्र श्री अरविंद कटियार उम्र 33 साल जाति कुर्मी निवासी 190, राजपुर पुलिस थाना राजपुर जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश एवं बर्रा 08 केडीएम स्कूल के पास कानपुर पुलिस थाना बर्रा जिला कानपुर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सुग्रीव कोलोनी जैन मंदिर के पास भरतपुर हाल सहायक अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतुपर एवं अभिषेक गुप्ता पुत्र स्व. श्री बंगाली बाबू उम्र 34 साल जाति वैश्य निवासी म.न. 10 थियेटर वाली गली रामनगर फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद हाल निवासी म.न. 599 , ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर के विरूद्ध नियमानुसार धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बिना नम्बरी एफआईआर एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।(अमित सिंह)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री मोहित कटियार पुत्र श्री अरविंद कटियार उम्र 33 साल जाति कुर्मी निवासी 190, राजपुर पुलिस थाना राजपुर जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश एवं बर्रा 08 केडीएम स्कूल के पास कानपुर पुलिस थाना बर्रा जिला कानपुर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सुग्रीव कोलोनी जैन मंदिर के पास भरतपुर हाल सहायक अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतुपर एवं 2- अभिषेक गुप्ता पुत्र स्व. श्री बंगाली बाबू उम्र 34 साल जाति वैश्य निवासी म.न. 10 थियेटर वाली गली रामनगर फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद हाल निवासी म. न. 599, ब्रिगेडियर घासीराम नगर कोलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रमेश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 202 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 83-87 दिनांक 12.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर 3- प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर रेंज, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMESHCHAND RAIGAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]1/2026 2[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)